

होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थन से  
पत्रावली वास्ते... 171911... को पेश हो।

171911)

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित  
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में  
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त  
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थन से  
पत्रावली वास्ते.....  
दिनांक 9-10-11 को पेश हो।

9/10/11)

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित  
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में  
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त  
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थन से  
पत्रावली वास्ते... 181211... को पेश हो।

18/12/11)

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित  
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में  
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त  
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थन से  
पत्रावली वास्ते... TDR को पेश हो।  
दिनांक 26-12-19 को पेश हो।

26.12.19

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित  
उपस्थित, प्रकरण में दोनों अधिकारियों की  
भीवाहस सुनी गयी। प्राचीन अधिकारियों द्वारा  
निवेदन किया कि ~~उभयपक्ष उपस्थित~~  
1892 ~~उभयपक्ष उपस्थित~~ पूर्व में ~~पत्रावली~~

ACT

माकुल 5/0 पीर-पीजारा 1/5 पारसमत 5/0 नीगलाक

प्राचीं आविक्ता ने अपनी वाहस में प्रार्थना पत्र में वरिष्ठ नृत्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मेरुव्वा की आ.न 1542 रकबा 0.17 हेक्टर ग्रामि श्री मांगीलाक पिता बालु लुहार के नाम दर्ज थी जिसमें से प्राचीं जब वर्षों से आवागमन करते आ रहे हैं इसी आराजी में होकर प्राचीं एक व दो अपनी आराजी संख्या 1528, 1529, 1530, 1531 में करते आ रहे हैं, विपक्षी उक्त आ.न 1542 को खरीद कर आरठ-पारठ के निर्माण करवा चक रहा है/ निर्माण कर रहा है मग करने पर लडाईं सबई पर आमाद है प्राचीं एक व दो ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अर्जित धारा 251 A RTI पेश किया जो विचारणीय है उसमें मोका रिपोर्ट भी बन चुकी है तथा वाहस की स्थिति में प्रिटर भी विपक्षी निर्माण पर आमाद है उसे रोका जाना आवश्यक है

विपक्षी आविठ का कथन है कि विपक्षी के द्वारा कृत्र भी गरी आ.न 1542 में प्राचीं गवा की आवागमन गही होकर आ.न 1577 में मोके पर शास्ता विपभाव है मेसे होकर सदेव से आवागमन हो रहा है विपक्षी के द्वारा अपनी खोलेदारी आराजी न 1542 के सटमा आवादी ग्रामि जिसमें विपक्षी के पिता मांगीलाक पिता बालु के पट्टेशदा चुमी में निर्माण करवा जा रहा है आ.न 1542 में निर्माण गही है

राखने की रिपोर्ट में मेरी (विपक्षी) की धारणा  
गही आ रही है पार्टी ने A.D.M कोर्ट में  
भी आवेदन किया जो दिनांक 17.9.2019  
को खारिज किया गया साथ ही आवेदन  
किया कि पार्टी का पत्र पार 251A में पार्टी  
एक व दो ने आवेदन किया जबकि इस  
पत्र में पार्टी 3 व 4 को संयोजित करते  
इस आवेदन पत्र किया जो स्वीकार योग्य  
गही है। पार्टी का खारिज जलाने का  
उभयपक्ष की वदल पर कलम करने  
पर यह कलम स्पष्ट रूप से साबित  
आता कि पार्टी का दावा है कि आ.न. 1542  
में निर्माण गही हो, विपक्षी का दावा है कि  
आ.न. 1542 में निर्माण गही होगा आवेदन  
पक्ष में किया जा रहा इस स्पष्ट प्रमाणित  
होता है कि विपक्षी आ.न. 1542 में निर्माण  
गही कर रहा है न करे करे का विचार है  
जब आ.न. 1542 में निर्माण गही किया  
जा रहा है और आगे भी निर्माण गही करे  
का विचार है तो पार 251A के पत्र के  
निर्धारण तक रेकार्ड कोर में के प्रचारित  
व्यक्ति रखने में कोई आपत्ति गही होगी-पक्षी  
उपरोक्त विवरण अनुसार पार्टी का पत्र करे

धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर अर्चन  
 डातः प्राची कृष्णक 1 व 2 भी सीमांतक  
 प्रस्तुत प्राचीन पत्र कर्तव्य धारा 151 CPC  
 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार कर आदेश दिया  
 जाता है. इस न्यायालय सहायक कलेक्टर  
 (उपरखण्ड अधिकारी) रामपुर के न्यायालय के  
 विचाराधीन प्रकार कर्तव्य धारा 251 A  
 RTA के विस्तार तक विपक्षी जाम  
 मोरबुदा व दंडीत रामपुर भी आशजी  
 न 1542 रकबा 0.17 हेक्टर के किसी  
 तरह का निर्माण नहीं करे व रेकार्ड एवं  
 नोकर भी तथा स्थिति बनाये रखे।

पत्रावली जेपल शुमार होकर नक्का से  
 काम हो पत्रावली काड निर्माण प्रकार  
 करना धारा 251 A RTA के साथ  
 संलग्न है।

Rajwan  
 26.12.19

(रुद्रलाल कर्कोटा)  
 R.A.S.  
 सहायक कलेक्टर (उपरखण्ड अधिकारी)  
 रामपुर (मीलवाड़ा)

